

अन्तिम डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर

व इजलास पीठासीन अधिकारी:- श्री दीनदयाल बाकोलिया आर.ए.एस.

जमाल बनाम जुले खां आदि

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा न0 61/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु श्री रघुवीर भामू एडवोकेट वादी की ओर से हाजरी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि विभाजन प्रस्ताव के फर्द मौका रिपोर्ट जिससे यह प्रमाणित है कि वादी जमाल पुत्र समना जाति साईं(फकीर) मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 दडीबा तहसील बीदासर जिला चूरू का रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा संख्या 56 रकबा 2 बीघा व खसरा संख्या 59 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा व रोही बैनाथा उमजी खसरा संख्या 10 तादादी 9 बीघा 6 बिस्वा में से वादी जमाल के हिस्सा पांती भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के खेत रोही बैनाथा जोगलिया के खसरा संख्या 59 मी0 में से दक्षिणी पूर्वी तरफ की 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि की अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे व वादी जमाल का अन्य खसराओं से खातेदारी दुरुस्त की जावे का अंकन रिकार्ड में किया जावे व शेष प्रतिवादीगण/खातेदारों का मुताबिक कब्जा काश्त व हिस्सा की खातेदारी यथावत् दर्ज रहे व वादी जमाल के हिस्सा पांती खेत में आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 59 में प्रतिवादीगण जुले खां वगैरह के हिस्सा पांती खेत में से पूर्वी तरफ की सीव पर होते हुए वादी अपने हिस्सा पांती के खेत में प्रवेश करेगा का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव व फर्द मौका रिपोर्ट अन्तिम डिकरी का भाग रहेगा। डिकरी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को पालना हेतु लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह अप्रैल 2018



दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
मुहम्मद बोहरा (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिला

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)